संख्या-81/2016/2689/33-3-2016-100(33)/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2016

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में परिकल्पित (concieved) की गयी थी।

वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय बजट में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान को केन्द्रीय सहायता से डिलिंक कर दिया गया था, जिससे पंचायतों में ई-गर्वनेन्स लागू करने में कठिनाई आ रही है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं में ई-गर्वनेन्स की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायती राज संस्थाओं में ई-गर्वनेन्स की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना ही इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य है।

2- योजनान्तर्गत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित मार्गनिर्देश निर्गत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) योजना का उद्देश्य

- पंचायतों में ई-गवर्नेन्स की स्थापना करना।
- पंचायतों में ई-गवर्नेन्स की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना।

- पंचायतों की सशक्तीकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।

(2) योजना के घटक/गतिविधियां

- राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु परामर्शी एवं कर्मी।
- जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु परामर्शी।
- जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयां हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम।
- ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।

(3) योजना के संचालन हेतु समितियों का गठन-

(1) राज्य स्तर पर दो समितियों का गठन-राज्य स्तर पर निम्नलिखित रूप से दो समितियां होगी :-

(क) ई-पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी:

- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन। — अध्यक्ष
- विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन। — सदस्य
- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0। — उपाध्यक्ष
- आयुक्त, ग्राम्य विकास या उनका प्रतिनिधि जो आयुक्त से निम्न स्तर का न हो। — सदस्य
- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि — सदस्य
  (जो संयुक्त निदेशक के स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो)
- अपर/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं.), पंचायती राज, उ0प्र0। — सदस्य/सचिव
- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0। — सदस्य
- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0। — सदस्य
- पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित तकनीकी निदेशक, एनआईसी, लखनऊ। — सदस्य
- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत) — विशेष आमंत्री
- चार प्रगतिशील ग्राम पंचायत प्रधान — विशेष आमंत्री

http://shasnadesh.up.nic.in

- अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार 2 से अनाधिक विशेष आमंत्री सदस्य भी नामित किये जा सकेंगे।

कार्य एवं दायित्व:

ई-पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा:-

- डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत तैयार की गई योजनाओं को राज्य स्तर से स्वीकृत करना।
- निश्चित अन्तराल पर योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण की समीक्षा किया जाना।
- नीतिगत निर्णय लिया जाना।
- योजना से सम्बन्धित विभागों के बीच अन्तविभागीय समन्वय स्थापित किया जाना।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- योजना में स्थापित राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई का सेवा विस्तार पर स्वीकृति प्रदान करना।
- अभियान के अनुश्रवण एवं बेहतर संचालन के लिए आववश्यक निर्णय एवं दिशा-निर्देश जारी करना, एवं कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना।
- स्वीकृत योजना के अनुसार योजना की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन कराना।

बैठकें:

उक्त समिति की वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति की विशेष बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।

(ख) कार्यकारी समिति (Executive Committee):

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। यह समिति उपरोक्त ई-पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी के निर्देशों का अनुपालन करायेगी एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी तथा राज्य एवं जिले स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्तयन एवं अनुश्रवण का दायित्व समिति का होगा। राज्य स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्य समिति के अनुमोदन से किये जायेंगें। राज्य स्तर पर खाते का संयुक्त संचालन निदेशक/अध्यक्ष, नोडल अधिकारी, आर.एम.एल.पी.एस.वाई./ सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी को

एक समय में रू. 50,000/- के व्यय की सीमा तक स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। कार्यक्रम प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी निर्णय एवं उनका क्रियान्वयन कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा एवं ई-पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी की आयोजित बैठकों में निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

(1)	निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।	अध्यक्ष
(2)	संयुक्त निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।	सदस्य
(3)	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.।	सदस्य
(4)	तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.	सदस्य
(5)	नोडल अधिकारी, आर.एम.एल.पी.एस.वाई.।	सदस्य सचिव

(4) कन्टीजेन्सी, यात्रा एवं विविध व्यय :

(I) कन्टीजेन्सी, यात्रा एवं विविध व्यय के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिए सहायक सेवाओं, ईंधन प्रभारों, किराये पर लिये गये वाहनों के प्रभारों, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर कार्टेज, अभियान की निगरानी और मूल्यांकन, योजनान्तर्गत आयोजित बैठकों आदि पर खर्च की गई धनराशि शामिल होगी।

(II) परामर्शदाताओं की फीस का भुगतान कन्टीजेन्सी, यात्रा एवं विविध व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा। अनुश्रवण एवं भारत सरकार की बैठकों/ कार्यशालाओं/ प्रशिक्षणों में प्रतिभाग, एक्सपोजर विजिट इत्यादि पर आने वाले यात्रा-भत्ता व्यय आदि का भुगतान नियमानुसार इसी मद से किया जायेगा।

(III) कार्यकारी समिति के अधीन राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई का गठन एवं संचालन-

1.	अपर/संयुक्त/उपनिदेशक(नोडल अधिकारी), आर.एम.एल.पी.एस.वाई., पंचायती राज, उ.प्र.।	विभाग का नामित अधिकारी
2.	प्रभारी, आर.एम.एल.पी.एस.वाई, पंचायती राज, उ.प्र.।	विभागीय
3.	लेखाकार/आंकिक/खजांची, पंचायती राज, उ.प्र.।	विभागीय
4.	स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (निक्सी के माध्यम से)	1

http://shasnadesh.up.nic.in

5.	एकाउन्ट एक्सपर्ट (निक्सी के माध्यम से)	1
6.	तकनीकी कन्सलटेन्ट (निक्सी के माध्यम से)	1
7.	जी.आई.एस. एण्ड प्लानिंग एक्सपर्ट (निक्सी के माध्यम से)	1
8.	कन्सलटेन्ट-कैपेसिटी बिल्डिंग एवं ट्रेनिंग तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	2
9.	आफिस असिसटेन्ट (निक्सी के माध्यम से)	2
10.	आफिस स्टाफ/आफिस हेल्पर (आउटसोर्सिंग से)	2

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्य-

(क) वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना।

(ख) पंचायत इण्टरप्राइज सूट के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन करना।

(ग) राज्य सरकार द्वारा विकसित एप्लीकेशन साफ्टवेयर का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना।

(घ) साफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना।

(ड़) योजना के घटकों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्ताव, आर.एफ.पी., ई.ओ.आई. आदि तैयार करना।

(च) भारत सरकार एवं विभिन्न स्टेक होल्डर्स से सम्पर्क कर योजना का क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना।

(छ) विभाग को तकनीकी एवं क्रियान्वयन सम्बंधी परामर्श प्रदान करना।

(ज) पंचायत प्रतिनिधियों/ कर्मियों का क्षमता विकास करना।

(झ) कार्यक्रम का प्रबन्धन करना।

(ञ) कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य कार्य।

उपरोक्त के अतिरिक्त निक्सी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध रिर्सोसेज के अतिरिक्त राज्य स्तर पर तैनात कन्सलटेन्ट/अन्य कार्यरत विभागीय कार्मिकों का परामर्शदात्री शुल्क, मानदेय, यात्रा भत्ता, स्टेशनरी, आयोजित बैठकों/ कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों, किराये के वाहनों एवं अन्य कार्यक्रम प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त व्यय राज्य स्तर पर उपलब्ध कन्टीजेन्सी, यात्रा एवं अतिरिक्त व्यय मद से किया जायेगा।

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंध इकाई निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के नियंत्रण एवं उनकी देख-रेख तथा मार्ग-दर्शन में कार्य करेगी।

(IV) जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई जनपद स्तर पर निम्नवत होगी-

1.	जिला पंचायत राज अधिकारी (नोडल अधिकारी, आर.एम.एल.पी.एस.वाई.), उ.प्र.।	पदेन विभाग का शासकीय अधिकारी
2.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,	पदेन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से
3.	जिला परियोजना प्रबन्धक (निक्सी के माध्यम से)	1

जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के कार्य-

(क) पंचायत इण्टरप्राइज सूट के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन करना।

(ख) राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई, डिस्ट्रिक्ट एन.आई.सी. एवं अन्य स्टेक होल्डर से सम्पर्क कर योजना का क्रियान्वयन करना।

(ग) राज्य सरकार द्वारा विकसित एप्लीकेशन साफ्टवेयर का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना।

(घ) साफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना।

(ड़) विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(च) जनपद स्तर पर कार्यक्रम का प्रबन्धन करना।

(छ) पंचायत कर्मियों का क्षमता विकास करना एवं कराना।

(ज) कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य कार्य।

(झ) जिला परियोजना प्रबन्धकों का एम.पी.आर. संस्तुति सहित प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक एन.आई.सी./निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना।

उपरोक्त इकाई जिला पंचायत राज अधिकारी के अधीनस्थ होगी। उपरोक्त इकाई पर होने वाले व्यय का भुगतान राज्य स्तर से निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. के द्वारा किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

(ट) कन्टीजेन्सी, यात्रा एवं विविध व्यय के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों पर व्यय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है:-

- वाहनों की खरीद
- भूमि और भवनों की खरीद
- औपचारिक भवनों और विश्राम गृहों का निर्माण,
- किसी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों पर व्यय
- उपहार और दान पर व्यय

(5) उपभोग प्रमाण-पत्र:

निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. द्वारा कार्यपूर्ति के पश्चात् उपभोग प्रमाण-पत्र प्रदेश सरकार को भेजे जाने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर व्यय हुई धनराशि से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण-पत्र संकलित कर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3 यह भी निर्देशित किया जाता है कि उ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के लिए गाइडलाइन में योजना के लिए चिन्हित कर्मियों की नियुक्ति, प्रक्रिया, वेतन, सेवा शर्तें एवं देयताओं का स्पष्ट निर्धारण पृथक से किया जायेगा एवं योजना की गतिविधियों पर होने वाले व्ययों के लिए स्पष्ट नियम बनाते हुए वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन भी सुस्पष्ट रूप से किया जायेगा।

उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायतीराज,उ0प्र0।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन।

http://shasnadesh.up.nic.in

3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त,30प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग,30प्र0 शासन।

5- समस्त मा0 सदस्य, उपरोक्त से संबंधित समिति हेतु।

6- समस्त मण्डलायुक्त,30प्र0।

7- समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।

8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,30प्र0।

9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), 30प्र0।

10- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,30प्र0।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in